उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 3
संख्या – 63/9–आ–3–2000–100 वि0/97
लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 2000

अधिसूचना

1. उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या – 34ए 1958) की धारा–5 (जे0) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विनियमित क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि या भवनों के वर्ग को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुज्ञा सम्बन्धी आवश्यकताओं से छूट प्रदान करते हैं :–

(1) भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक अन्टीना टावरों, रेडियो, इक्विपमेंट कक्ष तथा जनरेटर कक्ष के निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व काउंसिल आफ आर्कीटेक्ट द्वारा पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित अन्टीना टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष (जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अनधिक होगा) भवन निर्माण उपविधियों के अर्न्तगत है।

(2) अनधिकृत भवनों में अन्टीना टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(3) जहाँ अपेक्षित हो वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट एथारिटी आफ इण्डिया की अनापत्ति आवश्यक होगी।

(4) प्रत्येक निर्माण से पूर्व उपरोक्त मानचित्र व प्रमाण–पत्र रु0 पाँच हजार की अनुज्ञा फीस सम्बन्धित नियम प्राधिकारी के समक्ष जमा की जायेगी।

2. सेल्यूलर मोबाइल संचार सेवा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के ही समान है। अतः इसके लिए आवश्यक व संलग्नक रेडियो इक्विपमेंट व जनरेटर कक्ष भी महायोजना में समस्त भू–उपयोगों में उसी प्रकार अनुमन्य किये जायेंगे जिस प्रकार से अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें अनुमन्य हैं।

3. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु टावर की स्थापना में विभिन्न विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और यदि ऐसे निर्माण में कोई विविध प्रश्न सन्निहित होता है तो उसके सम्बन्ध में तत्काल शासन को विवरण भेजते हुए आदेश प्राप्त किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या – 63 (1) /9–आ–3–2000–100 वि0 /97 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में (केवल हिन्दी पाठ) में दिनांक 27 फरवरी, 2000 को विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या – 63 (1) / 9–आ–3–2000–100 वि0 / 97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश शासन / नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन / नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।
(3) नियत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र उत्तर प्रदेश।
(4) श्री के0 विजय राव, इक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्कोटल मोबाइल–ए–36 मोडालको–आपरेटिव इन्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली।
(5) मैनेजर ऊषा मोबाइल्स फोन ए–41 मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली।
(6) मैनेजर एस्सार मोबाइल्स टेलीफोन सी–48 ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, फेज–2, नई दिल्ली।
(7) अपर निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(8) डायरेक्टर जनरल, टेलीफोन, भारत सरकार नई दिल्ली।
(9) डायरेक्टर टेलीफोन्स, उत्तर प्रदेश सर्विसेज, लखनऊ।
(10) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।